महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम (प्रशिक्षण केन्द्र)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) KERALA, THIRUVANANTHAPURAM (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प/प्रशिक्षण/11-3/2025-26/ No.Au/Trg/11-3/2025-26/ दिनांक: 15 अप्रैल 2025

Date: 15 April 2025

अनुभागीय आदेश सं./SECTIONAL ORDER NO. 18

म.ले (लेखापरीक्षा I) कार्यालय से संबंधित निम्नलिखित पदाधिकारियों को ऑनसाइट मोड के माध्यम से आरसीबीकेआई, चेन्नई द्वारा आयोजित किए जाने वाले मिड-कैरियर प्रशिक्षण स्तर 3 कार्यक्रम के लिए नामित किया गया है।

The following officials belonging to the Office of the AG (Audit I) are nominated for Mid-career training Level III programme to be conducted at Regional Capacity Building & Knowledge Institute, Chennai through onsite mode.

| Sl.No | Name & Designation (Shri/Smt) | Section | Training Programme | Period of training |
|-------|-------------------------------|---------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | Aji V S, Sr. AO | AMG I | MCTP Level III | 21.04.2025 to 25.04.2025 |
| 2. | Manikantan Nair S, AAO | AMG III | | |
| 3. | Dolly George, AAO | AMG I | | |

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participants may complete the registration and feedback process through SAI Training Portal using their Official email IDs. The officials are also informed to complete the online impact assessment through SAI Training Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months of the last day of Training.

(महालेखाकार के दिनांक 11 अप्रैल 2025 के आदेशानुसार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि/Copy to:

| 1. | अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट | 4. | व.ले.प.अ /प्रशा./रोकड़, हक (ले.प- I)/(ले.प- II) |
|----|------------------------------|----|---|
| 2. | संबंधित अधिकारी | 5. | प्र.म.ले. (ले.पI)/(ले.पII) के सचिव/निजी सचिव |
| 3. | संबंधित समूह अधिकारी | 6. | सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए |